

# पत्नी सरपंच बनी, पति ने शपथ ले ली

मध्य प्रदेश के शुजालपुर के हन्नूखेड़ी में पंचायत चुनाव में पत्नी सरपंच चुनी गई लेकिन शपथ उसके पति ने ली। मामला 24 मार्च का है खास बात ये है कि सरपंच पति उज्जैन स्थित आरटीओ कार्यालय में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। मामला सामने आने के बाद जनपद सीईओ ने सरपंच व उसके पति के विसृद्ध कार्रवाई के लिए उज्जैन कमिश्नर व शाजापुर कलेक्टर को पत्र लिखे हैं।

मामला शुजालपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत हन्नूखेड़ी का है। इस ग्राम पंचायत में सरपंच पद महिला के लिए आरक्षित होने के चलते गांव की ही महिला लक्ष्मीबाई पति नरेंद्रकुमार 300 से अधिक मत लेकर विजयी हुई थी लेकिन 24 मार्च को हुए शपथ समारोह में महिला सरपंच लक्ष्मीबाई के स्थान पर उनके पति ने शपथ ले ली। शपथ समारोह में विधिवत रूप से पंचायत सचिव दुर्गाप्रसाद धनगर ने सरपंच लक्ष्मीबाई के स्थान पर आरटीओ में पदस्थ नरेंद्रकुमार को शपथ दिलवाई।

परिजन बोले- महिलाएं सामने नहीं आती

इस संबंध में सरपंच लक्ष्मीबाई के ससुर व अन्य परिजनों से चर्चा की गई तो उनका कहना है कि गांववालों के सामने महिलाएं नहीं आती हैं। पड़ौसी गांव पगरावदकलां में भी हमारे ही रिश्तेदार की महिला सरपंच चुनी गई है लेकिन शपथ पुस्त्रों ने ही ली है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सरपंच के ससुर ने कहा कि बैंक में चेकबुक पर साइन भी महिला के बजाए उनके पति ही करते हैं।

कमिश्नर, कलेक्टर को लिखे पत्र

जानकारी मिली है कि ग्राम पंचायत हन्नूखेड़ी की सरपंच लक्ष्मीबाई के स्थान पर उनके पति नरेंद्रकुमार ने शपथ ली थी। इस पर सचिव व सरपंच के खिलाफ धारा 40 के अंतर्गत शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। सरपंच व सचिव के जबाब से संतुष्ट न होने के कारण प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा गया है। साथ ही परिवहन विभाग में पदस्थ नरेंद्रकुमार पर भी कार्रवाई के लिए उज्जैन कमिश्नर प्रतिवेदन भेजा गया है।  
अमितकुमार व्यास, जनपद सीईओ शुजालपुर

साभार-दैनिक नईदुनिया से